

सेवा में

श्री सुशील इन्वामपति,
वाइस रजिस्ट्रार संत सवित्र
जी 3 डी ब्लॉक वी जी 2 सी ब्लॉक - वीआर सिफाय
फ्लोर गंगुली जिन्हा स्टाफ्ट रुम जी 205
गुडगाँव - 122002.

प्रस्ताव: आपका कार्रवाई 26.06.2017.

विषय: सुप्रीम कोर्ट की निर्णय 2015 के
तहत प्रतिवेदन

कहना
उपरोक्त प्रयोग पर विषय के अन्तर्गत
में साइट क्लिप करना है कि सुप्रीम कोर्ट की निर्णय
कोर्ट निर्णय 2015 के तहत बाध्यकारी नहीं माना है।
जुवनाधिकार कानून 77 के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट निर्णय है।

① एवं ② जुवनाधिकार अधिनियम (Care and Protection
of Children) Act 19 2015 के तहत दिशानिर्देश
का लागू माना है धारा 77 के तहत कोई भी नकल
2015 के अन्तर्गत नहीं करी है।

DR-1347/17
28-7-17

श्री. कानून सेवा

निदेशिका
28.7.17
श्री. निदेशिका आ. न. ए. ए.
बाध्यकारी माना
पटना

प्रतिवेदन:

- ① वसील कोर्ट की निर्णय 2015 के तहत
कोर्ट निर्णय
- ② नगर कोर्ट की निर्णय 2015 के तहत
कोर्ट निर्णय
- ③ कोर्ट निर्णय कोर्ट की निर्णय 2015 के तहत
कोर्ट निर्णय

28.7.17
श्री. निदेशिका आ. न. ए. ए.
बाध्यकारी माना
पटना